

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

पत्रांक :- बु0वि0/सम्ब0/2015/883
सेवा में,

दिनांक :- 21/7/15

प्रबंधक,

प0 वाराणसी विश्वविद्यालय,
झाँसी।

विषय :- परास्नातक प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपसृत विषयक आपके पत्र दिनांक 03.07.2015 के सन्दर्भ में सूचित करना है कि शासनादेश संख्या- 2443/सत्तर-2-2000-2(89)/57 दिनांक 9 मई 2000 एवं शासनादेश सं0 174/सत्तर-2-2014-285/97 टी0सी0-1 दिनांक 12.03.2014 तथा बचन समिति की संस्तुति के आधार पर कुलपति जी ने निम्नलिखित विवरणानुसार प्रवक्ताओं को इस प्रतिबंध के साथ अनुमोदन प्रदान करने की कृपा की है कि अनुमोदित प्रवक्ताओं को एकाउन्टपेयी बैंक द्वारा वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से किया जायेगा।

क. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पद	जन्मतिथि	साक्षात्कार तिथि	शैक्षिक विवरण
1	विजय सिंह पुत्र श्री हरी सिंह	परास्नातक प्रवक्ता एम0कॉम	18/02/1989	03/07/2015	NET 2006
2	विवेक गुप्ता पुत्र श्री आर0के0 गुप्ता	परास्नातक प्रवक्ता एम0कॉम	18/02/1984	03/07/2015	NET 2005
3	उमेशचन्द्र पुत्र श्री कृपालकर	परास्नातक प्रवक्ता एम0कॉम	05/06/1983	03/07/2015	NET 2004
4	मनोज सिंह पुत्र श्री प्रमोद सिंह	परास्नातक प्रवक्ता एम0कॉम	24/04/1978	03/07/2015	NET 2005
5	दीपक राय पुत्र श्री आत्मा राय	परास्नातक प्रवक्ता एम0कॉम	18/08/1976	03/07/2015	NET 2005
6	जिधि शर्मा पुत्री श्री कपिल शर्मा	परास्नातक प्रवक्ता एम0कॉम	15/06/1985	03/07/2015	NET 2005

उक्त के अतिरिक्त यह भी सूचित है कि यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी के अभिलेखों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि पायी गयी तो इसका समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबंध समिति का होगा।

आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि अनुमोदित प्रवक्ताओं के नियुक्ति पत्र की प्रति, अनुबन्ध पत्र की प्रति एवं कार्यभार ग्रहण आख्या यथाशीघ्र अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

उपकुलसचिव,

प्रतिलिपि :- श्री विवेक कुमार पाटकर, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त डाटा कम्प्यूटर में फीड करें।

उपकुलसचिव,